रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21, 1981 (फाल्गुन 30, 1902)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21, 1981 (PHALGUNA 30, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	275
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	335
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाए	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	355
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	3775
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	149
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	25
भाग III—खण्ड 4—विविक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	931
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	47

* पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

GI/80

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	275
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	335
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	355
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3775
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	149
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	25
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	931
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	47

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 1981

संकल्प

ऊर्जा विकास के लिये अत्यावश्यक है। हाल के वर्षों में तेल की कीमत में महत्वपूर्ण और लगातार वृद्धि हुई है और गारंटीशुदा और पक्के आधार पर उसकी उपलब्धता के बारे में भी अनिश्चितता रही है। भुगतान-शेष की स्थिति पर तो इन सब बातों का असर पड़ा ही है, अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं जैसे कि परिवहन, उद्योग, कृषि और घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर भी इसका गंभीर असर पड़ा है। इसलिये यह आवश्यक है कि देश ऊर्जा में यथाशीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के काम में जुट जाए। इस सन्दर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में ऊर्जा के देशी स्रोतों को विकसित किया जाए। परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिये वृहत प्रयास अपेक्षित है, अर्थात् जल विद्युत्, कोयला और परमाणु ऊर्जा का अधिक विकास किया जाए और देश में तेल के उत्पादन में वृद्धि की जाए। इसके अलावा विकेन्द्रीकृत और ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये तथा साथ ही कतिपय संभावित औद्योगिक उपयोगों के लिए, सौर पवन और जैव मात्रा (बायो-मास) जैसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विशेष महत्व रखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिये अनुसंधान और विकास की एक अच्छी-खासी बुनियाद बन चुकी है। अब इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्रुत विकास के लिये एक वृहत् और लगातार प्रयास आरम्भ करने के लिये सही समय है। इसके लिये यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिये अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों को गहन किया जाए तथा पहले से ही विकसित हुई अथवा विकसित की जा रही प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक दोहन के लिये जागरूकता के साथ उपाय किये जायें।

2. ऊर्जा की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति की गति को तेज करने के लिये ऊर्जा के नये और नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में सु-समन्वित प्रयास के लिये सांस्थानिक व्यवस्था करना भी आवश्यक होगा। अतः भारत सरकार सभी अनावश्यक प्रतिबन्धों और अनावश्यक कठोर नियमों से मुक्त एक रचनातंत्र की स्थापना करना आवश्यक समझती है जिसे नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के सम्पूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

3. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने, संपूर्ण कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों से संपन्न एक अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग (सी० ए० एस० ई०) की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

4. गठन

(क) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग में पूर्णकालिक और/या अंशकालिक सदस्य होंगे। कुल सदस्य संख्या चार से कम और सात से अधिक नहीं होगी।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव, भारत सरकार, आयोग का अध्यक्ष होगा।

(ग) सचिव, विद्युत् विभाग तथा वित्त मंत्रालय का एक सचिव, आयोग के सदस्य होंगे।

5. कार्य :

आयोग पर निम्नलिखित का उत्तरदायित्व होगा—

(क) नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिये नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करना;

(ख) नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अनुसंधान और विकास गतिविधियों को समन्वित और गहन करना;

(ग) नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सभी मामलों से संबंधित सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; और

(घ) आयोग का बजट तैयार करना।

6. संसद् द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों की सीमाओं के अंतर्गत आयोग को अपना कार्य करने के लिये भारत सरकार के समान प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी।

7. अध्यक्ष

(क) नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित नीति विषयक मामलों पर सरकार को सलाह देने और तकनीकी प्रश्नों से संबंधित निर्णय लेने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होगी। नीति और सहबद्ध मामलों से संबंधित आयोग की सिफारिशें अध्यक्ष के माध्यम से प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी।

(ख) अध्यक्ष, आयोग के अन्य सदस्यों के सुझावों को नामंजूर कर सकता है सिवाए इसके कि वित्त सदस्य को यह कहने का अधिकार होगा कि, जिस वित्तीय मामले पर वह अध्यक्ष से सहमत न हो, उसे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को भेजा जाए।

(ग) अध्यक्ष, उन सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अध्यधीन जो वह समय-समय पर जारी करेगा, निर्णय लेकर अपनी कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करने के लिये आयोग के किसी भी सदस्य को प्राधिकृत कर सकेगा।

8. आयोग को अपने कार्यविधि नियम स्वयं बनाने का अधिकार होगा। उसकी बैठकें भारत में अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने वाले समय और स्थानों पर होंगी।

9. आयोग द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख जिम्मेदारियों की सूची उपाबंध में उल्लिखित है।

10. आयोग के सदस्य निम्नलिखित नामित किये गये हैं:

अध्यक्ष

*प्रो० एम० जी० के० मेनन,
सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

सदस्य

*1. श्री डी० वी० कपूर,
सचिव, विद्युत् विभाग

*2. श्री वी० बी० ईश्वरन्,
सचिव, व्यय विभाग

*3. डा० ओ० पी० गौतम,
महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

4. श्री ए० एम० थामस, अध्यक्ष,
खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग

सचिव

*श्री महेश्वर दयाल, सलाहकार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

*पदेन

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए।

आर० परमेश्वर, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1981

सं० यू०-1/251.1/14/80—भारत सरकार के आमंत्रण पर और वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय (साइट्स) के पक्षकारों द्वारा उसके स्वीकार कर लिये जाने पर, सम्मेलन की तीसरी बैठक 25 फरवरी से 8 मार्च, 1981 तक नई दिल्ली में होगी।

और जबकि, वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय (साइट्स) के पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक की व्यवस्था के बारे में भारत सरकार और साइट्स सचिवालय के बीच 15-1-1981 को एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न हुआ;

अतः अब संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित प्रावधान संलग्न समझौता ज्ञापन को प्रवृत्त करने के लिये यथावश्यक परिवर्तनों सहित वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अभिसमय के पक्षकारों और इसके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सम्मेलन की तीसरी बैठक के संबंध में लागू होंगे।

समझौता ज्ञापन

3 मार्च, 1973 को वाशिंगटन, डी० सी० में स्वीकृत और 1 जुलाई, 1975 से प्रवृत्त, वन्य प्राणी एव वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियो के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय के अनुच्छेद-ग्यारह के अनुपालन में साइट्स पक्षकारों के सम्मेलन की नियमित बैठक के तौर पर, यह बैठक आयोजित की जा रही है। नई दिल्ली में 25 फरवरी, से 8 मार्च, 1981 तक वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों से सम्बद्ध अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक (जिसे आगे "बैठक" कहा जाएगा) में भाग लेने के लिये भारत सरकार के आमंत्रण को पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर, भारत सरकार (जिसे आगे "सरकार" कहा जाएगा) और साइट्स सचिवालय इस प्रकार सहमत होते हैं :—

I. भाग लेना :—

(क) साइट्स पक्षकारों का प्रतिनिधित्व, समुचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी विशेषज्ञ एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और किसी ऐसे राज्य, जो कि अभिसमय का पक्षकार नहीं है, का प्रतिनिधित्व प्रेक्षकों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें बैठक में भाग लेने का हक तो होगा, परन्तु वे मतदान नहीं कर सकेंगे;

(ग) निम्नलिखित वर्गों के वन्य जन्तु समूह व वनस्पति के बचाव, संरक्षण या प्रबन्ध में तकनीकी योग्यताप्राप्त निकायों या एजेंसियों, जिन्होंने सम्मेलन की बैठक में प्रेक्षकों द्वारा अपने प्रतिनिधित्व की इच्छा के बारे में सचिवालय को सूचित किया है, को प्रवेश की अनुमति होगी, बशर्ते कि मौजूद पक्षकारों की कम से कम एक तिहाई संख्या इस पर आपत्ति नहीं उठाती;

(i) सरकारी या गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का निकाय और राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियां और निकाय; तथा

(ii) राष्ट्रीय गैर-सरकारी एजेंसियां या निकाय, जिनका अनुमोदन उस राज्य द्वारा इस प्रयोजन के लिये किया गया है, जहां वे हैं। एक बार प्रवेश पा लेने वाले इन प्रेक्षकों को बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु वे मतदान नहीं कर सकेंगे।

II. परिसर, उपस्कर, जनोपयोगी सेवाओं और लेखन सामग्री की सप्लाई :

सरकार, दिल्ली में बैठक के आयोजन के लिये आवश्यक स्थान और अन्य सुविधाओं की, अपने खर्च पर व्यवस्था करेगी। बैठक के परिसर और सम्बद्ध सुविधाओं की सूची, "समझौता-ज्ञापन" से संलग्न अनुबंध I में दी गई है। सरकार, प्रेस और अन्य सूचना माध्यमों के लिये स्थान और सभी आवश्यक उपस्कर की भी व्यवस्था करेगी।

2 यह परिसर पूरी बैठक के दौरान "साइट्स" सचिवालय के सुपुर्द रहेगा और अगर बैठक से सम्बद्ध काम की तैयारी के लिये और उसे निपटाने के लिये इससे पहले और बाद में भी अगर "साइट्स सचिवालय को जरूरत होगी तो उतनी अवधि के लिये भी सरकार के परामर्श से वह इस परिसर को रख सकेगा।

3. सरकार, बैठक के प्रभावकारी संचालन के लिये, समझौता ज्ञापन के अनुबंध-I में सूचीबद्ध सभी उपर्युक्त कमरों और कार्यालयों के साज-सामान की व्यवस्था और रख-रखाव अपने खर्च पर करवाएगी।

4. सरकार, बैठक के प्रभावकारी संचालन के लिये अपने खर्च पर मीमियोग्राफ, अन्य डुप्लीकेटिंग और फोटो कापीइंग मशीनों, अपेक्षित भाषाओं के की-बोर्डों सहित टाइपराइटरों, टेपरिकार्डरों और समझौता ज्ञापन के अनुबंध-I में सूचीबद्ध अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था और देख-रेख करेगी।

5. सरकार, अपने खर्च पर बैठक के लिये स्टैप्लरों, ऐशट्रेयों, कैंचियों, रद्दी की टोकरियों, पत्र खोलने वाले उपस्कर, डेस्क कलेंडरों, फ्लाटिंग पैडों आदि जैसी आवश्यक और स्थायी कार्यालय सामग्री की भी व्यवस्था करेगी।

6. सरकार, बैठक के परिसर में बैंक, डाकघर, टेलीफोन, तारघर, यात्रा-सुविधाओं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं, कैफेटेरिया रेस्तरां और बहुभाषी सूचना सेवाओं की भी व्यवस्था करेगी। बैठक में आमंत्रित और प्रविष्ट लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी।

7. सरकार, नई दिल्ली में बैठक के सचिवालय की टेलीफोन संचार व्यवस्था तथा उसके और मोंट ब्लैक स्थित साइट्स सचिवालय तथा न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान कार्यालय के बीच टेलेक्स और टेलीफोन द्वारा सभी प्राधिकृत सरकारी संचार व्यवस्था सहित सभी आवश्यक उपयोगी, सेवाओं के इस्तेमाल पर होने वाले खर्च को वहन करेगी।

8. साइट्स बैठक के कार्य के लिये सभी आवश्यक लेखन सामग्री और स्टेंसिलों तथा दस्तावेजों की प्रतियां तैयार करने के लिये आवश्यक कागज की व्यवस्था, अपने खर्च पर करेगा। सरकार, मोंट ब्लैक या न्यूयार्क से नई दिल्ली और नई दिल्ली से मोंट ब्लैक या न्यूयार्क तक इस सामग्री के परिवहन और उसके जहाज में भेजे जाने संबंधी बीमा प्रभार की अदायगी करेगी।

9. सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि जब कभी भी जरूरत हो हस्पताल में उपचार और दाखले की तत्काल सुविधा मिले और आवश्यक परिवहन भी निरन्तर सुलभ हो जो बुलाने पर फौरन आ जाये।

III. कर्मचारी :

साइट्स सचिवालय को, समझौता-ज्ञापन के अनुबंध–II में सूचीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ की नई दिल्ली में जरूरत होगी और सरकार यथा-वश्यकता उसकी व्यवस्था करेगी।

2. सरकार, एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करेगी, जो कि "समझौता ज्ञापन" के अनुसार प्रशासनिक तथा कार्मिक प्रबन्ध करने के लिये, साइट्स के परामर्श से काम करेगा।

3. सरकार, साइट्स के परामर्श से अपने खर्च पर और अपने प्रशा-सनिक नियंत्रणाधीन, समझौता-ज्ञापन के अनुबंध-II में सूचीबद्ध स्थानीय कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि निम्नलिखित कार्य करेंगे :—

(क) बैठक के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि तैयार करना और बांटना

(ख) मोंट ब्लैक में साइट्स स्टाफ के स्थान पर टाइपिस्टों, क्लर्कों, संदेश-वाहकों, सुरक्षा गार्डों, स्टोर कीपरों और सम्मेलन कक्ष कार्मिकों के तौर पर काम करना; और

(ग) बैठक के सिलसिले में उपलब्ध किये गये उपकरण और परि-सर की अभिरक्षात्मक और अनुरक्षात्मक सेवाओं के लिये जैसे आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करना।

4. उपर्युक्त स्थानीय कर्मचारी, "यूनेप" के कार्यकारी निदेशक के सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करेंगे और उनकी सेवायें बैठक से पहले और बाद यथावश्यकता उपलब्ध रहेंगी।

IV. परिवहन तथा निर्वाह

1. बैठक के लिये यात्रा, जहां तक संभव हो, उनके संबंधित ड्यूटी स्टेशनों से नई दिल्ली और नई दिल्ली से वापसी हवाई सैर के लिए लिये जाने वाले किराये के आधार पर होगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ का कोई सदस्य किसी लम्बे मार्ग से अपने ड्यूटी स्टेशन पर जाना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। बशर्ते हवाई सैर के लिये लिये जाने वाले ऐसे किराये सीधी वाणिज्यिक उड़ान की लागत से अधिक व्यय को वह स्वयं वहन करे।

2. यू० एन० ई० पी० के कार्यकारी निदेशक तथा बैठक के कर्म-चारी वर्ग के प्रयोग के लिये परिवहन की व्यवस्था सरकार अपने खर्च पर करेगी। सरकार "साइट्स" कर्मचारी वर्ग के दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली हवाई अड्डे से उन्हें उनके होटलों तक पहुंचाने और वापसी के समय उन्हें उनके होटलों से हवाई अड्डे तक पहुंचाने के लिये जो अतिरिक्त सुविधायें चाहिए होंगी, वह भी मुफ्त प्रदान करेगी। सरकार सम्मेलन के लिये उपस्करों तथा सामग्री के हवाई अड्डे (अथवा बन्दरगाह) से बैठक के स्थान तथा वापसी के लिये भी परिवहन की व्यवस्था करेगी।

3. बैठक के दौरान प्रतिनिधि मंडलों को सचिवालय, प्रेस तथा इस बैठक में भाग लेने वाले दूसरे लोगों की सहायता के लिये और होटल आदि के आरक्षण के लिये भी सरकार सुविधायें उपलब्ध कराएगी। ये सभी सुविधायें बैठक में भाग लेने वालों के खर्च पर उपलब्ध करायी जाएंगी और इसका हिसाब बैठक में भाग लेने वालों द्वारा होटल प्राधिकारियों तथा अन्य संबंधितों से सीधे ही तय किया जाएगा। इस बारे में सरकार किसी प्रकार के उत्तरदायित्व अथवा देयता को स्वीकार नहीं करेगी।

4. निकटस्थ अन्य पशु विहार की संगठित यात्रा के लिये यदि कोई खर्च होगा तो उसे अतिथेय सरकार वहन करेगी।

V. विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां

1. संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों पर अभिसमय इस बैठक पर भी लागू होगा। तदनुसार राज्यों, संयुक्त राष्ट्र, उसके विशिष्ट अभिकरणों और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रतिनिधि, इस बैठक के लिये काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और उपर्युक्त पैरा I(ग) में उल्लिखित निकाय अथवा एजेंसियों उक्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का लाभ उठाएंगी।

2. बैठक में भाग लेने वाले विशिष्ट अधिभकरणों के प्रेक्षक, विशेषज्ञ एजेंसियों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर अभिसमय के अनुच्छेद VI और VIII के अन्तर्गत उपलब्ध विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां इन्हें भी प्राप्त होंगी। बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रेक्षक, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर करार के अनुच्छेद VI और IX के अन्तर्गत उपलब्ध विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। बैठक में प्रेक्षकों के रूप में आमंत्रित किये गये अन्य अन्तर सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रेक्षक, संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों पर अभिसमय के अनुच्छेद V के अन्तर्गत उपलब्ध विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां इन्हें प्राप्त होंगी।

3. संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों के अभिसमय पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले इस बैठक में संबंधित काम करने वाले सभी व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, विदेशी सूचना माध्यम के प्रतिनिधियों सहित "साइट्स" सचिवालय द्वारा बैठक में आमन्त्रित अन्य व्यक्तियों को जिन्हें ऐसा करने के लिये विधिवत् प्रत्यायित किया गया हो, बैठक के सिलसिले में बोले तथा लिखे गये शब्दों और अपनी आधिकारिक क्षमता में किये गये सभी कार्यों के लिये कानूनी प्रक्रिया से उन्मुक्ति मिलेगी।

4. सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि बैठक में भाग लेने के लिये हकदार ऐसे किसी व्यक्ति और समाचार अथवा रेडियो टेलीविजन, सिनेमा अथवा सरकार के परामर्श से "साइट्स" सचिवालय द्वारा प्रत्या-यित अन्य अभिकरणों के प्रतिनिधियों तथा "साइट्स" सचिवालय द्वारा इस बैठक में भाग लेने के लिये आधिकारिक रूप से आमंत्रित अन्य व्यक्तियों के बैठक के स्थान के लिये और वहां से जाने के लिये किसी प्रकार की रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी।

5. इस खण्ड में उल्लिखित सभी व्यक्तियों को सरकार द्वारा स्था-नीय रूप से भर्ती किये गये कर्मचारियों को छोड़कर, भारत में प्रवेश करने और यहां से बाहर जाने का अधिकार होगा। उनकी शीघ्र यात्रा के लिये पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जाएंगी, जहां वीजा अपेक्षित होगा, वहां यथा शीघ्र मुफ्त वीजा दिया जाएगा और जिन मामलों में आवेदन पत्र बैठक शुरू होने के कम से कम छह सप्ताह पूर्व दिये जायेंगे, उनमें बैठक की तारीख से दो सप्ताह पूर्व तक वीजा उपलब्ध कर दिये जायेंगे। यदि वीजा के लिये आवेदन पत्र बैठक शुरू होने के छह सप्ताह पूर्व नहीं किया गया होगा तो वीजा आवेदन प्राप्त होने से तीन दिन के अन्दर-अन्दर वीजा दे दिया जाएगा। निष्क्रमण परमिट, जहां अपेक्षित होंगे, यथाशीघ्र मुफ्त प्रदान किये जायेंगे और किसी भी हालत में बैठक समाप्त होने से तीन दिन पूर्व के बाद नहीं।

6. इसके अतिरिक्त, इस बैठक में भाग लेने वाले और बैठक के सिलसिले में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसी सुविधाओ तथा शिष्टाचारो का लाभ प्राप्त होगा जो बैठक, के सिलसिले में उनके स्वतत्र रूप से काम करने के लिये आवश्यक होगे।

7 बैठक के दौरान और बैठक के प्रारम्भिक तथा अन्तिम चरणो मे भी अनुच्छेद II में उल्लिखित भवनो को तथा स्थानो को "साइट्स" सचिवालय समझा जाएगा; ये परिसर और इनमें प्रवेश साइट्स सचिवालय के प्राधिकार तथा नियत्रण के अन्तर्गत होगा।

8. सरकार, बैठक के लिये आवश्यक सभी प्रकार के उपस्करों तथा सामान के आयात की अनुमति देगी जिसमें सम्मेलन की प्राधिकारिक आवश्यकताओ तथा मनोरजन कार्यक्रम के लिये आवश्यक सामान भी शामिल हैं, और आयात शुल्क तथा देय अन्य शुल्क और करो की अदायगी से छूट प्रदान करेगी। सरकार "साइट्स" सचिवालय को आवश्यक आयात तथा निर्यात परमिट अविलंब जारी करेगी।

VI पुलिस सुरक्षा

सरकार अपने खर्च पर बैठक के शातिपूर्ण तथा सुव्यवस्थित सचालन के सुनिश्चय के लिये यथा आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। यद्यपि ये पुलिस सेवायें सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये माध्यम वरिष्ठ रैंक के अधिकारी के सीधे नियंत्रण मे होगी परन्तु यह अधिकारी "साइट्सन" सचिवालय के उत्तरदायी अधिकारी के कनिष्ठ सहयोग से काम करेगा जिससे सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण का सुनिश्चय हो सके।

VII. दायित्व

1 सरकार सीधे रूप स अथवा समुचित बीमे द्वारा "साइट्स" सचिवालय अथवा उसके कार्मिको के विरुद्ध निम्नलिखित के कारण होने वाली किसी कार्रवाई, दावो अथवा अन्य मांगो के प्रति उत्तरदायी होगी.

(क) उपर्युक्त अनुच्छेद II तथा सलग्न समझौता-ज्ञापन के अनुबन्ध II मे उल्लिखित क्षेत्र मे किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को होने वाली हानि।

(ख) उपर्युक्त अनुच्छेद IV के पैराग्राफ 2 मे उल्लिखित परिवहन सेवाओ द्वारा अथवा उनके प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को होने वाली हानि।

(ग) उपर्युक्त अनुच्छेद III पैरा 2 और 3 तथा समझौता ज्ञापन के अनुलग्नक--II मे उल्लिखित कार्मिको की बैठक के लिये नियोजन।

2. सरकार "साइट्स' सचिवालय और इसके कार्मिको को ऐसी कार्रवाइयो, दावो अथवा दूसरी मांगो के संबध में जिम्मेदार नहीं ठहराएगी, सिवाए उस सूरत के जबकि इसके सविदाकारी पक्षो के बीच इस बारे मे सहमति हो जाए कि नुकसान अथवा क्षति "साइट्स" सचिवालय के कार्मिक की ओर लापरवाही अथवा जानबूझ कर किये गए अविचार के कारण हुई है और ऐसे मामलो मे इस बात का निश्चय करने के लिये कदम उठाए जाएंगे कि इसका सिविल दायित्व किस पक्ष पर है।

अगर ऐसी कोई कार्रवाई, दावा अथवा दूसरे प्रकार की मांगें किन्हीं मजबूरी की परिस्थितियो में हुई हैं तो उनके दायित्वो से सरकार और "साइट्स" सचिवालय मुक्त होगे।

3 उपर्युक्त पैरा 1 और 2 मे जो कुछ कहा गया है उसके बावजूद सरकार और "साइट्स" सचिवालय ऐसी किन्ही कार्रवाइयो, दावो अथवा अन्य मांगो के कारण बाद में, दूरस्थ अप्रत्यक्ष नीतियों के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

सी० आर० शारेखां, संयुक्त सचिव (यू एन)

अधिसूचना का परिशिष्ट

संयुक्त राज्य आंतरिक प्रभाग

वाशिंगटन, डी० सी०, दिनांक 5 जनवरी 1981

उत्तर देते समय एफ० डब्ल्यू० एस०/डब्ल्यू० पी० ओ० का उल्लेख करें।

श्री समर सिंह
सयुक्त सचिव (एफ० एण्ड डब्ल्यू० एल०)
भारत सरकार,
कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय,
(कृषि विभाग),
नई दिल्ली, भारत 110001

विषय :—भारत सरकार और वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियो के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय (साइट्स) के पक्षकारो के सम्मेलन की तीसरी बैठक (भारत) नई दिल्ली में 25 फरवरी से 8 मार्च, 1981 तक के बारे में समझौता-ज्ञापन

महाभाग्य,

हमारे अभिसमय के महासचिव को कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के निदेशक श्री सी० एस० रगाचारी के 28 जनवरी, 1980 के पत्र स० 18018/1/79 फैन का उल्लेख करते हुए जिसमें भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त बैठक अपने यहां करने का सिद्धान्तत. अनुमोदन दिया गया है। मैं इस निमंत्रण के लिये आपकी सरकार का धन्यवाद करता हू और पक्षकारो के सम्मेलन की ओर से इसे सहर्ष स्वीकार करता हू।

1 बैठक का स्वरूप और विषय-विस्तार

यह बैठक 3 मार्च, 1973 को वाशिंगटन डी० सी० मे स्वीकृत वन्य प्राणी एव वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियो के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय के बारे मे अभिसमय के अनुच्छेद XI के अनुसरण में (साइट्स) के पक्षकारो के सम्मेलन की नियमित बैठक के रूप में आयोजित की जाती है।

जैसा कि इसके साथ सलग्न अनतिम कार्यसूची (डाक 3 1) में बताया गया है कि इस बैठक का उद्देश्य इस अभिसमय के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और भविष्य में इसकी प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिये अपेक्षित कार्यवाही करना है।

II. सहभागी

(क) प्रक्रिया विनियमो के संलग्न प्रारूप (डाक 3 2) के अनसार

(क) "साइट्स" पक्षकारो का प्रतिनिधित्व यथोचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा

(ख) संयुक्त राष्ट्र, इसकी विशेषीकृत एजेंसियां और अन्तर्राष्ट्रीय परमाण ऊर्जा एजेंसी, और ऐसा कोई भी राज्य जो इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है, अपना प्रतिनिधित्व पर्यवेक्षको द्वारा कर सकता है।

(ग) अनुच्छेद XI के पैरा 7 में विनिर्दिष्ट वर्गों के वन्य प्राणी एवं वनस्पति के संरक्षण, रक्षण और व्यवस्था में तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त निकाय और एजेंसियां भी अपना प्रतिनिधित्व पर्यवेक्षको द्वारा कर सकती हैं।

आशा की जाती है कि इसमें विदेशी भागीदारो की कुल संख्या 250 होगी जिसमें प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक और सम्मेलन सचिवालय के सदस्य भी शामिल होगे।

III बैठक का स्थान और तारीख

यह बैठक 25 फरवरी से 8 मार्च, 1981 तक नई दिल्ली (भारत) स्थित विज्ञान भवन सम्मेलन केन्द्र में होगी।

IV. बैठक का आयोजन

इस बैठक के व्यावहारिक और तकनीकी आयोजन की जिम्मेवारी अपेक्षाओं के संलग्न विवरण के आधार पर, सक्षम मेजबान प्राधिकारियों और अभिसमय सचिवालय की होगी, लेकिन इस बैठक के सुचारू आयोजन को सुनिश्चय करने के लिये अगर इस समझौता ज्ञापन के पक्षकारों को परस्पर सहमति से कोई समंजन करने पड़ें तो इस समझौता-ज्ञापन के प्रावधान उसमें व्यवधान नहीं बनेंगे।

V. विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

भारत सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि इस बैठक में हिस्सा लेने के हकदार किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में प्रवेश करने, यहां ठहरने और यहां से जाने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाये।

इस बात का भी सुनिश्चय किया जाएगा कि इस बैठक के लिए आवश्यक दस्तावेजों और उपस्करों को बिना किसी प्रतिबंध और आयात/निर्यात शुल्क के भारत में लाने और ले जाने की अनुमति होगी बशर्ते कि लागू सामान्य कानूनी प्रावधानों और नियमों का पालन किया जाय।

इस बैठक से सम्बद्ध सभी मामलों में भारत की सरकार इस बैठक में भाग लेने वाले सरकारी प्रतिनिधियों और अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय स्टाफ पर संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में अभिसमय के सम्बद्ध प्रावधानों को, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू करेगी।

VI. क्षतिपूर्ति के लिये दायित्व

जब तक इस बैठक के लिये आरक्षित परिसर इस अभिसमय सचिवालय के अधिकार में होगा तब तक भारत सरकार इस परिसर की सुविधाओं, इस बैठक के लिय उपलब्ध फर्नीचर और उपस्करों की टूट-फूट का दायित्व वहन करेगी और उसमें उपस्थित व्यक्तियों के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो उसका दायित्व भी वहन करेगी। भारत सरकार उपर्युक्त परिसर, सुविधाओं, फर्नीचर, उपस्करों और व्यक्तियों के संरक्षण को सुनिश्चय करने के लिये, विशेषतया आग और अन्य जोखिमों से बचाने के लिए, वे सभी उपाय करेगी जिसे वह आवश्यक समझती हो। भारत सरकार इस अभिसमय सचिवालय के स्टाफ के सदस्यों अथवा एजेंटों द्वारा व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति को पहुंचाये गये नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है।

यदि आप महामान्य को उपर्युक्त प्रावधान स्वीकार्य हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें स्वीकार करेंगे। मैं आपका आभारी होउंगा, यदि आप इस पत्र की दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करके एक प्रति मुझे लौटा दें।

इस समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह पत्र भारत सरकार और "साइट्स" के पक्षकारों के सम्मेलन के बीच इस बैठक का समझौता ज्ञापन बन जायेगा।

महामान्य, मेरी परम आदर भावना का आश्वासन स्वीकार करें।

भारत सरकार की ओर से	साइट्स पक्षकार-सम्मेलन की ओर से
दिनांक 15-1-81	05-1-1981
हस्ताक्षर और पदनाम	हस्ताक्षर और पदनाम
हस्ताक्षर—एम० के० दल्वी	हस्ताक्षर—
वन महा निरीक्षक	रिचर्ड एम० पार्सन्स
भारत सरकार	स्थायी समिति के अध्यक्ष
कृषि मंत्रालय	
कृषि एवं सहकारिता विभाग	
कृषि भवन, नई दिल्ली	

संलग्नक, अपेक्षा विवरण

अनुबन्ध : I

वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय।
सम्बद्ध पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक
नई दिल्ली (भारत), दिनांक 25 फरवरी से 8 मार्च, 1981

अपेक्षाओं का विवरण

(जब तक आगे अन्यथा उल्लिखित न हो, ये सुविधाएं आतिथेय देश द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी)

स्थान और उपस्कर:

एक मुख्य सभा-कक्ष: कुल 250 व्यक्तियों के लिए, जिसमें काम के लायक मेजें, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में साथ-साथ अनुवाद के लिए हैडफोन और माइक्रोफोन (बूथ सभा कक्ष के पीछे अथवा विकल्प स्वरूप पाद-पीठ के पीछे होने चाहिए) लगे हों।

दो छोटे सभा कक्ष: क्रमश: लगभग 80 और 30 व्यक्तियों के लिए।

टेलीफोन की सुविधा से युक्त दस सचिवालय कक्ष: स्थायी समिति, ड्राफ्टिंग समितियों, महासचिव, अभिसमय सचिव, अनुवादकों, दुभाषियों, विश्राम कक्ष और अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश टाइपिंग पूल के लिये जिनमें निम्नलिखित उपकरण सुलभ हों:—

10. इलैक्ट्रिक टाइपराइटर (एक ही तरह के टाइप और गोल्फ बाल वाले)।

1-2 हस्तचालित टाइपराइटर

2 आई० बी० एम० स्वचालित टाइपराइटर (आई० बी० एम०-एम० सी०-82)

टाइप करने के लिये 10 मेज और कुर्सियाँ

एक बड़ा कमरा प्रतियां आदि तैयार करने वाली मशीनों के लिए और कागजात प्राप्त करने के लिये जिसमें निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध हों:

1 फोटोकापियर (आई० बी० एम०-2 अथवा समकक्ष प्रकार का)

1 डुप्लीकेटर या आफसेट लिथोग्राफिक उपस्कर

1 इलैक्ट्रोनिक स्टैंसिल मशीन

1 इलैक्ट्रोनिक कोलेटर (एक बार में 6 शीट के लिये)

1 इलैक्ट्रिक स्टेप्लर (एक बार में 30 पृष्ठों के लिये)

कई विस्तार तारें।

स्वागत योग्य एक स्थान 200-300 व्यक्तियों के लिये—जिसमें खाने वाले रैकों की व्यवस्था हो (संभव हो तो, खाने लम्बे आयताकार हों) और जिसमें बड़ी मेज या स्वागत डैस्क हो और उसमें दराजें भी हों।

2 ऐसे नोटिस बोर्ड जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधायें भी उपलब्ध की जा सकें तो अच्छा होगा:

एक प्रैस कक्ष जिसमें टेलीविजन और रेडियो साक्षात्कार की सुविधा सहित सामान्य प्रैस सुविधायें और कुछ डैस्क, कुर्सियां और टलीफोन हों।

एक कक्ष जिसमें फिल्में और स्लाइडें दिखाने की सुविधा हो
एक सिनेमा प्रोजेक्टर (16 मि० मी०) जिसके साथ 35 मि० मी० की रंगीन स्लाइडों के लिये, ध्वनि प्रोजेक्टर भी हो।

एक लॉज जिसमें प्रकाशनों की प्रदर्शनी के लिये कमरा हो और जिसमें प्रदर्शनी के योग्य बुक स्टैंड हों।

लेखन सामग्री: (जिसकी मात्रा पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाएगी)।

बांड पेपर (सादा सफेद कागज ए4, 80 ग्रा०)
लिखने के लिये ब्लाक
खानों के लिये लेबल, स्वयं चिपकने वाले (तीन रंग के)
पेंसिलें
पैड
मैनुअल स्टेप्लर
पंच (ए 4 कागज के लिये दो छेद वाला)
पेपर क्लिप
कार्बन पेपर
बड़े लिफाफे (ए4 आकार के)
प्लास्टिक बैग
रबड़ मिटाने वाला (साधारण और टाइपराइटर)
टाइप करने वालों के लिये तरल टिपेक्स कोरेक्टर पेस्ट
प्लास्टिक के पारदर्शी फोल्डर (छेद वाले और बिना छेद वाले)
गोंद
हिंज बैक बाइंडर (2 छेद वाले ए 4)
रिंग बाइंडर (2 छेद वाले ए4)
अनुवादकों के लिये उपयुक्त शब्द-कोष (इंग्लिश/फ्रैंच/और फ्रैंच/इंग्लिश, स्पेनिश)

अनुबन्ध—II

सचिवालय :

लिपिकीय स्टाफ (2 टाइपिस्ट इंगलिश, फ्रैंच और स्पेनिश)
तकनीशियन (साथ-साथ अनुवाद और हो सके तो फिल्म उपस्कर)
डुप्लीकेटर और फोटोकापियर के लिये मशीन चालक*

अतिरिक्त सहायक स्टाफ (प्रवेशक, संदेशवाहक, प्रलेख प्राप्त करने और वितरण करने के लिये स्टाफ)

दुभाषिए और अनुवादक :

अधिसमय सचिवालय को इंगलिश, फ्रैंच और स्पेनिश के लिए दुभाषियों और सम्मेलन में तैयार किये गये प्रलेखों, जैसे मसौदा संकल्प के इंगलिश, फ्रैंच और स्पेनिश अनुवाद के लिये अनुवादकों की व्यवस्था करनी होगी (प्रत्येक भाषा के लिये एक-एक)

स्वागती :

हवाई अड्डे पर स्वागत कर्मचारी जो इसमें भाग लेने के लिये सामान के साथ आने वाले व्यक्तियों की सहायता करें और होटलों तक पहुंचायें (अंग्रेजी और फ्रेंच भाषी), सम्मेलन केन्द्र पर स्थानीय सूचना, माला, होटल रजिस्ट्रेशन और यात्रा प्रबंध के लिये (इंगलिश और फ्रैंच भाषी)

सम्मेलन केन्द्र पर सेवायें :

सम्मेलन स्थल पर जाने और वहां से लाने के लिये परिवहन की सुविधा (निशुल्क) मुद्रा विनिमय, डाक, टलीफोन, काफी बार/कैफीटेरिया और प्राथमिक चिकित्सा/दवा की सुविधा (भाग लेने वालों के खर्च पर)

आतिथ्य और भ्रमण :

इसकी व्यवस्था आतिथेय सरकार द्वारा की जायेगी और इसमें निकटतम वन्य पशु विहार की व्यवस्थित यात्रा भी शामिल है।

*इनमें से कुछ को रात की पारी में भी आना पड़ सकता है।

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 1981

सं. 7(15)/71-आई. सी./आर. डी.—केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ-7(15)/71-आई. सी., दिनांक 28 अगस्त, 1971, जैसा कि उसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करती है :—

विद्यमान अनुच्छेद 4 (ज) के पश्चात् निम्नलिखित को उप-अनुच्छेद के रूप में सम्मिलित किया जाए .—

"इसके अतिरिक्त असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य एवं अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम केन्द्रशासित क्षेत्रों सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान चुने हुए जिलों/क्षेत्रों में 1-3-1981 को अथवा इसके पश्चात् स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक एककों को की जाने वाली राजसहायता कुल अचल पूंजी निवेश के अलावा वास्तव में किए गए अतिरिक्त कुल अचल पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत तक, किन्तु अधिकतम 20 लाख लाख रु. की राशि तक जैसी भी दशा हो, सीमित रहेगी।"

आर. श्रीनिवासन
संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1981

सं० ए०–19012/1/81–स्था०–I—सचिव, कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग, श्री लल्लन दास, पी० आर० ए० को 21 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक, खाद्य विभाग में 550–25–750–द० रो०–30–900 रुपये के वेतनमान में तकनीकी समन्वय अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री लल्लन दास, पी० आर० ए० को उसी तारीख से इस विभाग के राइस मिलिंग सल में तकनीकी समन्वय अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

स्वतंत्र सिंह, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1981

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/80/40/1—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 16–4–1980 के संकल्प सं० हिन्दी/समिति/80/40/1 के क्रम में यह निश्चय किया गया है कि रेलवे हिन्दी शब्दावली समिति के वर्तमान सदस्य डा० कृष्ण बिहारी मिश्र कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता के स्थान पर डा० लक्ष्मी नारायण लाल, 8/17 ईस्ट पटेल नगर, नयी दिल्ली-110008, को उक्त समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाय।

इस समिति में डा० लक्ष्मी नारायण लाल की सदस्यता के संबंध में वे सब शर्तें लागू होंगी जो 16–4–1980 के उपर्युक्त संकल्प में उल्लिखित हैं।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

हिम्मत सिंह सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

RESOLUTION

New Delhi, the 12th March 1981

F. No. 64/1/1/80-Cab.—Energy is an essential requirement for development. In recent years, there has been a significant and continuing increase in the price of oil and also uncertainties about its availability on a guaranteed and steady basis. Apart from the impact this development has on the balance of payments position, it has serious effects on many facets of the economy such as the transport, industry, agricultural and household sectors. It is, therefore, essential that the nation pledge itself to achieve energy self-sufficiency as soon as possible. In this context, it is vitally important to develop all the indigenous sources of energy in India. A major effort is needed to expand energy supply from the conventional sources; hydro, coal and nuclear energy as also to expand domestic oil production. Apart from these, new and renewable energy sources like solar, wind and biomass are of particular interest for supplying the energy needs of the decentralised and rural sectors, as well as several potential industrial uses. A considerable base of Research and Development for harnessing these energy sources has also been established under the programmes of the Department of Science and Technology. The time is now ripe to initiate a major and sustained effort for rapid development of these renewable energy sources his requires intensification of the R & D efforts for developing technologies in this field as well as conscious steps for commercial exploitation of the technologies already developed or being developed.

2. It is also necessary to have institutional arrangements for a well-coordinated approach in the area of new and renewable sources of energy in order to accelerate the pace towards achieving the goal of energy self-sufficiency. The Government of India, therefore, consider it necessary to set up a mechanism, free from all non-essential restrictions and needlessly inelastic rules, which will have responsibility in the entire field of development of new and renewable energy sources.

3. After careful consideration, the Government of India have decided to establish a Commission for Additional Sources of Energy (CASE) with full executive and financial power.

4. *Constitution* :

(a) The Commission for Additional Sources of Energy shall consist of full time and/or part time members. The total number of members shall not be less than four but not more than seven.

(b) The Chairman of the Commission will be the Secretary to the Government of India in the Department of Science and Technology.

(c) The Secretary, Department of Power and a Secretary from the Ministry of Finance will be members of the Commission.

5. *Functions.*

The Commission shall be responsible for—

(a) formulating policies and programmes for development of new and renewable sources of energy;

(b) coordinating and intensifying research and development activities in new and renewable sources of energy;

(c) ensuring implementation of Government's policies in regard to all matters concerning new and renewable sources of energy; and

(d) preparing the budget of the Commission.

6. Within the limits of the budget provision, approved by Parliament, the Commission shall have the powers of the Government of India, both administrative and financial, for carrying out its work.

7. *Chairman* :

(a) The Chairman shall be responsible for arriving at decisions on technical questions and advising Government on matters of policy relating to new and renewable sources of energy. All recommendations of the Commission on policy and allied matters shall be put up to the Prime Minister through the Chairman.

(d) The Chairman shall have the power to over-rule the other Members of the Commission, except that the Member for Finance shall have the right to ask that any financial matter, in which he does not agree with the Chairman, be referred to the Prime Minister and the Finance Minister.

(e) The Chairman may authorise any member of the Commission to exercise on his behalf, subject to such general or special orders as he may issue from time to time, such of his powers and responsibilities as he may decide.

8. The Commission shall have the power to frame its own rules of procedures. It may meet at such times and places in India as may be fixed by the Chairman.

9. Broad areas of responsibilities of the Commission have been listed in Annexure.

10. The following have been nominated as members of the Commission :—

Chairman

Prof. M. G. K. Menon, Secretary,

"Prof. M. G. K. Menon, Secretary, Department of Power.

Members

*1. Shri D. V. Kapur, Secretary, Department of Power.

"2. Shri V. B. Eswaran, Secretary, Department of Expenditure.

3. Dr. D. P. Gautam, Director General, Indian Council of Agricultural Research.

4. Shri A. M. Thomas, Chairman, Khadi & Village Industries Commission.

Secretary

'Shri Maheshwar Dayal, Adviser, Department of Science and Technology.

ex-officio

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all others concerned.

R. PARAMESWAR, It. Secy.

ANNEXURE

Broad list of responsibilities of the "Commission for Additional Sources of Energy"

1. Plan, initiate, financially support, monitor and undertake integrated national research and development programmes involving government laboratories, public and private sector companies and academic institutions that exist as also those which may come into being in the future, including those the Commission may set up, aimed at generating all the knowhow necessary for production programmes in :—

(a) development of appropriate technology for harnessing solar energy like solar thermal devices and systems based on the thermal effects of solar radiation and development of photovoltaic devices and systems for direct conversion of solar energy into electricity;

(b) development of wind energy;

(c) development of bio-mass and bio-conversion technology.

(d) development of decentralised energy systems; and

(e) other new areas as may be entrusted.

2. Survey the R & D work done by various agencies with a view to co-ordinating their programmes and providing appropriate direction for Research and Development efforts keeping in view long term requirements.

3. Function as the national agency for international co-operation in the field of new and renewable energy sources.

4. Interface research and development with production, by amongst other measures :—

(i) promoting the acquisition of technical capability and providing finance for design and engineering of pilot plants and prototype production facilities based on locally invented processes and designs and setting up such pilot plants and prototype facilities, wherever required for rapid commercialisation of new and renewable energy technologies;

(ii) taking special steps such as subsidies to ensure that the high cost of limited volume production which our needs call for, does not become an obstacle to start commercial manufacture of products based on local know-how.

5. Survey, plan and approve and undertake programmes in the public, private and small scale sectors for production of materials, components, equipment and systems for commercial exploitation of know-how in areas of alternative energy sources in consultation with other ministries and industries.

6. Recommend to Government various incentive measure for commercial use of the new and renewable energy technologies by industries.

7. Function as a data bank on all aspects of new and renewable energy sources and advise Government on import of technology in the area of new and renewable sources of energy.

8. Be responsible for operating all necessary industrial and import licensing policy and procedures as far as the industries in the new area are concerned.

9. Develop and coordinate with other agencies schemes oriented to the needs of rural India keeping in view the rural sources of energy available and train manpower for operating decentralised systems of energy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th February 1981

No. UI/251-1/14/80.—Whereas, upon the invitation of the Government of India and acceptance thereof by the Conference of the Parties, the Third Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall be held in New Delhi from February 25 to March 8, 1981.

And Whereas, a Memorandum of Understanding was concluded on 15-1-1981 between the Government of India and CITES Secretariat regarding the arrangements for the Third Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions set out in the schedule to the said Act shall, to the extent, it is necessary, to give effect to the Memorandum of Understanding hereto annexed, apply, *mutatis mutandis*, to the Third Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Endangered Species of Wild Fauna and Flora and its representatives and Officers.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The Meeting is convened as a regular meeting of the Conference of CITES Parties pursuant to Article XI of the Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora, adopted at Washington, D. C., on 3rd March, 1973 and entered into force from July 1, 1975 Following acceptance by Conference of Parites, of the invitation by Governments of India to hold the Third Meeting of the Conference of Parties to the Convention on Endangered Species of Wild Fauna and Flora at New Delhi from February 25th to 8th March, 1981 (hereinafter referred to as 'MEETING'), the Government of India (hereinafter referred to as 'THE GOVERNMENT') and the CITES Secretariat hereby agree as follows :

I. PARTICIPATION :—

(a) CITES Parties will be represented by duly authorised delegates;

(b) The United Nations, its specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a party to the Convention, may be represented by observers, who shall have the right to participate but not to vote.

(c) Bodies or agencies technically qualified in protection, conservation or management of Wild Fauna and Flora in the following categories who have informed the secretariat of their desire to be represented at meetings of the Conference by observers, shall be admitted unless at least one-third of the parties present object;

(i) international agencies or bodies either governmental or non-governmental, and national governmental agencies and bodies; and

(ii) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this purpose by the state in which they are located. Once admitted these observers shall have the right to participate but not to vote.

II. PREMISES, EQUIPMENT, UTILITIES AND STATIONERY SUPPLIES :—

The Government shall make available at its expense such meeting space and facilities at New Delhi as will be necessary for the holding of the Meeting. The Meeting premises and their facilities are listed in the Annex I, annexed to the 'Memorandum of Understanding', suitable working areas and all the necessary equipment for the Press and other information media will also be provided by the Government.

2. The premises shall remain at the disposition of the CITES Secretariat throughout the Meeting and for such additional time in advance of the opening and after the closing as the Secretariat of CITES, on consultation with the Government shall deem necessary for the preparation and settlement of all matters connected with the Meeting.

3. The Government shall, at its expense, furnish, equip and maintain in good repair all the aforementationed rooms and offices, which are listed in Annexure I to the M.O.U., in a manner adequate to the effective conduct of the Meeting.

4. The Government shall, at its expense, furnish and maintain such equipment as memeograph, other duplicating and photocopying machines, type-writers with keyboards in the languages required, tape recorders and such other equipment, as is necessary for the effective conduct of the Meeting as listed in Annex I to the Memorandum of Understanding.

5. The Government shall also provide, at its expense, durable items of necessary office supplies such as staplers, ashtrays, scissors, waste-paper baskets, letter openers, desk calenders, blotting pads, etc., for the purpose of the Meeting.

6 The Government shall provide within the Meeting area a Bank, a Post Office and telephone, telegraph and travel facilities, first aid facilities, a cafetaria and restaurant, as well as multilingual information services. Space for the public invited or permitted to attend the Meeting should also be provided.

7. The Government shall pay for use of all necessary utility services including telephone communications of the Secretariat of the Meeting in New Delhi and all duly authorised official communications by telex and telephone between the Secretariat of the Meeting and CITES Secretariat at Mont Blanc and United Nations Headquarters at New York.

8. CITES shall provide at its expense all stationary supplies necessary for the functioning of the Meeting, as well as as the stencils and paper required for documents reproduction. The Government shall bear and pay the transport and insurance charges for their shipment from Mont Blanc or New York to New Delhi and return.

9. The Meeting area shall also have medical facilities which shall be adequate to provide first aid for emergencies. Immediate access and admission to hospital will be assured by the Government whenever required, and the necessary transport shall be constantly available on call.

III. STAFF :—

CITES Secretariat will require at New Delhi the international staff listed in Annex, II of the M.O.U. and the Government shall put at the disposal of the Secretariat such staff as required.

2. The Govrenment shall appoint a liaison officer who shall be responsible in consultation with the CITES for making and carrying out the administrative and personnel arrangements for Meeting in terms of 'MOU'.

3. The Government, following consultation with CITES, will make available at its expense, and under its administrative control, the local staff listed in Annex. II of the M.O.U. and required to :—

(a) Reproduce and distribute the documents needed by and for the Meeting;

(b) Perform duties such as typists, clerks, messengers, *security guards, store keepers, and conference room* personnel, *in* lieu of CITES staff available *in* Mont Blanc.

(c) Provide the services and such staff that may be necessary for custodial and maintenance services for the equipment and premises made available in connection with the Meeting.

4. The local staff referred to above will be placed under the general supervision of the Executive Director of UNEP and made available before and after the Meeting to the extent required for its conduct.

IV. TRANSPORTATION AND SUBSISTENCE :—

1. Travel to the Meeting will, to the extent feasible, be based on airline excursion fares from their respective duty stations to New Delhi and return. Any member of the International staff who wishes to return to his duty station by an indirect route may do so provided that he himself pays any excess over the cost of such excursion fares/direct commercial flight.

2. The Government shall provide transport at its expense for the use of the Executive Director of UNEP and the Meeting staff. The Government shall also provide, at no cost to CITES such addditional facilities as may be required for the transportation of CITES staff from the Delhi Airport to their hostels in Delhi upon arrival and from their hotels to the Airport upon departure. The Government shall also provide for the transportation of Conference equipments and materials from the Airport (or port) to the Meeting premises and back.

3. The Government shall make available facilities to assist delegations, Secretariat, Press and other participants in the Meeting in making hotel reservations for the duration of the Meeting. All such facilities will be provided at the cost of the participants, and the accounts will be directly settled by the participants with the hotel authorities and others concerned. The Government shall have and accept no responsibility or liability in this respect.

4. Cost of organised visit to nearest wildlife sanctuary, if any, will be borne by the host Government.

V. PRIVILEGES AND IMMUNITIES :—

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations and its Specialised Agencies shall be applicable with respect to the Meeting. Accordingly, the representatives of States and of the United Nations, its Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency, officials of the United Nations performing functions in connection with the Meeting and bodies or agencies referred to in para I (c) shall enjoy the said privileges and immunities.

2. Observers from the specialised agencies at the Meeting shall enjoy the privileges and immunities under Articles VI and VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies. Observers from the International Atomic Energy Agency at the Meeting shall enjoy the privileges and immunities provided under Article VI and IX of the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency. Observers from other intergovernmental and non-governmental organisations invited to the Meeting as observers shall enjoy the privileges and immunities provided under Article V of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

3. Withuot prejudice to the Convention on privileges and immunities of the United Nations, all persons performing functions in connection with the Meeting, including representatives of international organisations, representatives of foreign information media and other persons invited to the Meeting by the CITES Secretariat who are duly accredited as such shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken, written and all acts performed by them in their official capacity in connection with the Meeting.

4. The Government shall ensure that no impediment is imposed on transit to and from the Meeting of any person entitled to attend the Meeting and the representatives of the Press or Radio, Television, Film or other information agencies accredited by the CITES Secretariat upon consultation with the Government and other persons officially invited to the Meeting by the CITES Secretariat.

5. All the persons referred to in this section with the exception of local staff recruited by the Government shall have the right of entry into and exit from India. They shall be granted reasonable facilities for speedy travel, visas where required shall be granted, free of chrage as speedily as possible and when applications are received at least two and a half weeks before the opening of the Meeting, not latter than two weeks before the date of the Meeting. If the application for the visa is not made at least two and a half weeks before the opening of the Meeting, the visa shall be granted not later than three days from the receipt of the application. Exit permit, where required, shall be granted free of charge and as speedily as possible, in any case not later than three days before the closing of the Meeting.

6. In addition, all participants and all persons performing functions in connection with the Meeting shall enjoy such facilities and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in conneciton with the Meeting.

7 During the Meeting, including the preparatory and final stages of the Meeting, the buildings and areas referred to in Article II shall be deemed to constitute CITES Secretariat; premises and access thereto shall be subject to the authority and control of CITES Secretariat.

8 The Government shall allow the importance of all equipment and supplies necessary for the Meeting, including those needed for the official requirements and entertainment schedule of the Conference, and exempt them from the payment of the import duties and other duties and taxes to which they are liabel. It shall issue without delay to the CITES Secretariat any necessary import and export permits.

VI. POLICE PROTECTION :—

The Government shall provide at its expense such police protection as may be required to ensure the peaceful and orderly functioning of the Meeting. While such police services shall be under the direct supervision and control of an officer of the medium/senior rank provided by the Government this officer shall work in close co-operation with the responsible CITES Secretariat official so as to ensure a proper atmosphere of security and tranquillity.

VII. LIABILITY

1. The Government shall. either directly or through appropriate insurance coverage, be responsible for dealing with any actions claims or other demands against the CITES Secretariat or its personnel and arising out of :

(a) Injury or damage to person or property in the premises referred to in Article II above and in Annex

II of the Memorandum of Understanding attached.

(b) Injury or damage to person or property caused by, or incurred by using, the transport services referred to in Article IV, paragraph 2 above;

(c) The employment for the Meeting of the personnel referred to in Article III, paragraph 2 and 3 above and in Annex II of the Memoradum of Understanding.

2. The Government shall hold harmless the CITES Secretariat and its personnel in respect of such actions, claims or other demands, except when it is agreed by the parties hereto that such damage or injury is caused by gross negligence or wilful disconduct of the CITES Secretariat personnel in which cases steps—shall be taken to establish the civil liability of the party responsible.

Any such actions, claims or other demands arising out of events attributable to *force majeure* shall exempt the Government and the CITES Secretariat from any obligation.

3. Notwithstanding anything contained in paragraphs 1 and 2 above, the Government and the CITES Secretariat shall not be liable for any consequential, remote or indirect damages arising out of such actions, claims or other demands.

C. R. CHAREKHAN, Jt. Secy.
Annexure to the Notification.

UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR
Government of India

WASHINGTON D. C.
Washington, the 5th January 1981

In Reply Refer to :
FWS/WPO
Mr. Samar Singh
Jt. Secretary (F&WL)
Government of India
Ministry of Agriculture & Irrigation
(Department of Agriculture)
New Delhi, India 110 001

Subject :—Memorandum of Understanding between the Government of India and the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) concerning the Third Meeting of the Conference, New Delhi (India), 25 February to 8 March 1981.

Yours Excellency,

I have the honour to refer to Letter No. 18018/1/79-FAN dated the 28 January 1980 from Shri C. S. Rangachari, Director in the Ministry of Agriculture & Irrigation, to the Secretary General of our Convention, conveying the approval in principle of the Government of India to hosting the above-mentioned meeting. I wish to thank your Government for this kind invitation which on behalf of the Conference of the Parties, I gladly accept.

I. *Nature and Scope of the Meeting*

The meeting is convened as a regular meeting of the Conference of CITES Parties pursuant to Article XI of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora adopted at Washington, D.C., on 3 March 1973. The purpose of the meeting, as outlined in the enclosed Provisional Agenda (Doc. 3.1), is to review the implementation of the Convention and to take such action as may be required to improve its effectiveness in the future.

II. *Participants*

In accordance with the enclosed Draft Rules of Procedure (Doc 3.2) :

(a) CITES Parties will be represented by duly authorised delegates;

(b) The United Nations, its Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Party to the Convention, may be represented by observers;

(c) Bodies or agencies technically qualified in protection, conservation or management of wild fauna and flora, in the categories specified in Article XI paragraph 7, may also be represented by observers.

The total number of foreign participants, including delegates, observers, and members of the Conference Secretariat is expected to be about 250

III. *Place and Date of the Meeting* ..

The meeting will take place at the Vigyan Bhavan Conference Centre of New Delhi (India), from 25 February to 8 March 1981.

IV. *Organization of the Meeting*

The responsibility for the practical and technical organization of the meeting shall be shared by the competent host authorities and the Convention Secretariat, on the basis of the attached statement of requirements; provided that the provisions of the present Memorandum of Understanding shall not prevent the Parties to this Understanding from making such adjustments as may be mutually agreed in order to ensure the efficient organization of the meeting.

V. *Privileges and Immunities*

The Government of India shall ensure that no restriction is placed upon the right of entry into, sojourn in, and departure from its territory of any person entitled to attend the meeting.

It shall also ensure that documents and equipment needed for the meeting will be permitted to enter and leave the territory of India without restrictions and without import/export duty, provided that the applicable general legal provisions and rules are observed.

In all matters relating to this meeting, the Government of India shall apply, *mutatis mutandis*, the relevant provisions of the Conventions on the Privileges and Immunities of the United Nations and its Specialised Agencies to Government representatives, and to international secretariat staff participating in the meeting.

VI. Liability for Damage

As long as the premises reserved for the meeting are at the disposal of the Convention Secretariat, the Government of India shall bear the risk of damage to the premises, facilities, furniture and equipment made available for the meeting, and shall bear the liability for accidents that may occur to entitled to adopt whatever measure it may deem fit to ensure persons present therein. The Government of India shall be entitled to adopt whatever measure it may deem fit to ensure the protection, particularly against fire and other risks, of the above-mentioned premises, facilities, furniture, equipment and persons. The Government of India may claim compensation for damage to persons or property caused by staff members or agents of the Convention Secretariat.

If, as I venture to hope, the above provisions are acceptable to Your Excellency, I should be grateful if you would sign both copies of this letter and return one copy to me.

Upon signature by both Parties to this Understanding, the present letter shall constitute the Memorandum of Understanding between the Government of India and the Conference of CITES Parties in respect of this meeting.

Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

For the Government of India
Date : 15-1-81
Signature and Title :

For the Conference of CITES Parties
Date : Jan 05 1981
Signature and Title :

Sd/- Richard M. Parsons
Chairman of the Standing Committee

Sd/- M. K. Dalvi
Inspector General of Forests
Government of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of Agriculture & Coop.
Krishi Bhavan
New Delhi-110001

Enclosure Statement of Requirements

ANNEX I

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

Third Meeting of the Conference of the Parties

New Delhi (India), 25 February to 8 March 1981

Statement of Requirements

(Unless otherwise stated hereinafter, facilities will be provided by the Host Government)

ACCOMMODATION AND EQUIPMENT

1 *main conference room* with working tables, headphones and microphones for simultaneous interpretation into English, French and Spanish (the booths should be placed back of the Conference room or alternatively behind the podium) for a total of 250 participants

2 *small meeting rooms* for approx 80 and 30 participants respectively

10 *secretariat rooms with telephones* for Standing Committee, drafting committees, Secretary General, Convention Secretariat, translators, interpreters' rest room, English, French and Spanish typing pool with

10 electric typewriters (with same kind of printing/golf ball) 1-2 manual typewriters

2 IBM automatic typewriters (IBM MC-82)

10 typing desks and chairs for secretariat staff

1 *large room for reproduction machinery and collating of documents with*

1 photocopier (IBM 2 type or equivalent)

1 duplicator or offset lithographic equipment

1 electric stencil machine

1 electronic collator (takes up to 6 sheets)

1 electric stapler (takes upto 30 pages)

several extension cords

1 *reception area* with pigeon holes (horizontal, if possible) for 200-300 participants with

1 big table or reception desk with drawers

2 movable notice boards

In addition, it would be desirable to have the following available

1 *press room* with usual press facilities, including facility for television and radio interviews and some desks, chairs and telephones

1 *room with facilities for projecting films and slides*

1 cine projector (16 mm) with synchronized sound projector for 35 mm colour slides

1 lounge with room for exhibition of publications, including exhibition book stands

STATIONERY (Quantity to be determined by mutual agreement)

Bond paper (plain white paper A 4, 80 gr)

Blocks for writing

Labels for pigeon holes, self-adhesive (3 colours)

Pencils

Pads

Manual staplers

Punches (for A 4 paper, with 2 holes)

Paper clips

Carbon paper

Big envelopes (A 4 size)

Plastic bands

Erasers (ordinary and typewriter)

Liquid tipp-ex, corrector paste, for typists

Transparent plastic folders (with and without holes)

Glue

Hinge-back binders (A 4 with 2 holes)

Ring binders (A 4 with 2 holes)

Dictionaries for use by translators (English/French and French/English, Spanish as appropriate)

ANNEX II

Secretariat

Secretarial staff (2 typists for English, French and Spanish) Technicians (simultaneous interpretation and possibly film equipment

Machine operator for duplicator and photocopies*
Additional support Staff* (e g ushers, messengers, staff for document collection and distribution)

Interpreters And Translators

Convention Secretariat to hire conference interpreters for simultaneous interpretation in English, French and Spanish and translators for meeting documents produced during the Conference in English, French and Spanish (one for each language), such as draft resolutions

Receptionists

Reception staff at the airport helping participants with luggage and transfer to hotels (English and French speaking Local information staff at conference centre, for hotel registration as well as travel arrangements (English and French speaking)

Services At Conference Centre

Transport facilities to and from conference centre (free of charge)

Facilities for currency exchange, postal services, telephone, coffee bar/cafetaria and medical first aid/pharmacy facilities (services at the expense of participants)

Hospitality And Excursions

To be arranged by the host government, including organized visit to nearest wildlife sanctuary

*Night shift may be required for some of these.

MINISTRY OF INDUSTRY

New Delhi, the 11th March 1981

No 7(15)/71-IC/RD—The Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No F 7(15)/71-IC dated the 26th August, 1971, as amended from time to time—

The following may be added as sub para after the existing para 4(n) —

"Further, in respect of industrial units to be set up on or after 1-3-1981 in the existing selected districts/areas in the North-Eastern Region comprising the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram, subsidy will be limited to 20% of the total fixed capital investment or additional total fixed capital investment actually made, as the case may be, subect to a maximum of Rs 20 lakhs'

R SRINIVASAN, Jt. Secy

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF FOOD

New Delhi, the 18th February 1981

No A 19012/1/81 E I—The Secretary, Ministry of Agriculture, Department of Food is pleased to appoint Shri Lalan Das P R A on deputation as Technical Co-ordination Officer in the scale of Rs 550-25-750-EB-30 900 in the Department of Food with effect from the forenoon of 21st January, 1981, until further orders

2 Shri Lalan Das P R A is posted as Technical Co-ordination Officer in Rice Milling Cell of this Department with effect from the same date

SWATANTRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

RAILWAY BOARD

New Delhi, the 28th February 1981

RESOLUTION

No Hindi/Samiti/80/40/1—In continuation of Ministry of Railway's (Railway Board's) resolution No. Hindi/Samiti/80/40/1 dated 16-4-1980, it has been decided to nominate Dr Laxmi Narain Lal, 8/17, East Patel Nager, New Delhi 110008 as non-official member of 'Railway Hindi Shabdawali Samiti in place of its existing member Dr. Krishna Behari Mishra, Calcutta University, Calcutta

The other conditions concerning Dr. Laxmi Narain Lal as member of this Committee will be the same as mentioned in resolution dated 16-4-1980 referred to above

ORDER

ORDERED that copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office Cabinet Sectt, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts and Ministries and Departments of Govt of India

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

HIMMAT SINGH, Secy, Rly. Board &
ex-officio Jt Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981